



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

**वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष : 2014–2015**

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in

Email : rajtaxboard@yahoo.co.in

0145- 2627803 (Phone & Fax)

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2014 – 2015

प्रस्तावना :

1.0 राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरुद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर **'राजस्थान कर बोर्ड'** कर दिया गया।

2-0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। उक्त वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित विवादित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये है जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।


2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलों/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी कर, निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।

3.0 गठन :

कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों के पद सृजित है तथा वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य पदस्थापित है। कर बोर्ड में पदस्थापित सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9 (7)(क) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। कर बोर्ड में सदस्य पद पर चयन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम, 9 में निहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

3.1 कर बोर्ड के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। रजिस्ट्रार पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित/सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित होते हैं।

कर बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा :



3.2 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष (आई.ए.एस.)	1	1	—
2	सदस्य	6	4	2
3	रजिस्ट्रार	1	—	1
4	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	—
5	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	1	1	—
6	निजी सचिव	2	2	—
7	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	—
8	निजी सहायक	1	—	1
9	आशुलिपिक	4	1	3
10	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—
11	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	1	1	—
12	कार्या. अधीक्षक कम सहा. प्रशा. अधि.	2	—	2
13	सहा. कार्यालय अधीक्षक	4	—	4
14	क्लर्क ग्रेड-I	7	8	—
15	क्लर्क ग्रेड-II	10	7	3
16	सूचना सहायक	2	2	—
17	वाहन चालक	4	4	—
18	जमादार	1	1	—
19	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	13	1
20	प्रोसेस सरवर	2	2	—

योग	66	50	17
------------	-----------	-----------	-----------

नोट : पूर्व स्वीकृत पदों के अनुसार वर्तमान में क्लर्क ग्रेड-1 के 8 पद भरे हुये हैं जबकि नवीन केडर स्ट्रेन्थ के अनुसार क्लर्क ग्रेड-1 के 7 पद स्वीकृत हुये हैं।

4.0 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	नाम	पद	अवधि
1.	श्री राकेश श्रीवास्तव	अध्यक्ष	09.07.2014 से निरन्तर
2.	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर
3.	श्री मदनलाल	सदस्य	25.02.2013 से निरन्तर
4.	श्री मनोहरपुरी	सदस्य	07.08.2014 से निरन्तर
5.	श्रीमती आशा कुमारी	सदस्य	03.11.2014 से निरन्तर
6.	श्री नहनूराम	सहा. रजिस्ट्रार	10.10.2014 से निरन्तर

5.0 बजट स्थिति :

वर्ष 2014-2015 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन (B.E.)	दिसम्बर, 2014 तक (रु.) व्यय
1	संवैतन	296.00	199.47
2	यात्रा भत्ता	3.50	3.37
3	चिकित्सा व्यय	3.00	1.94
4	कार्यालय व्यय	18.00	12.76
5	वाहन क्रय	0.01	—
6	वाहन संधारण	4.00	3.25
7	पुस्तकालय	1.00	0.47
8	वाहन किराया	6.48	1.75
9	वर्दी	0.34	0.19
10	संविदा व्यय	9.50	0.57
11	कम्प्यूटराइजेशन व्यय	3.87	3.20

6.0 पुस्तकालय :

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय पीठ एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में **7418** पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 वर्षवार प्रकरणों की स्थिति :

वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वाद	2012 (दिनांक 31.12.12)	2013 (दिनांक 31.12.13)	2014 (दिनांक 31.12.14)
1.	बकाया प्रकरण	7484	7188	7707
2.	दायर प्रकरण	2931	2464	2520

3.	निस्तारित प्रकरण	3227	1945	1640
4.	शेष प्रकरण	7188	7707	8587

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्टाम्प एक्ट के जिन प्रकरणों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में यह राशि रुपये पांच लाख से अधिक है, उन प्रकरणों की तथा आबकारी से संबंधित समस्त वादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा एवं भूमि कर से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2013 द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम 2 के खण्ड (iii) में किये गये संशोधन के अनुसार एकलपीठ द्वारा अपील प्रकरणों की सुनवाई की सीमा रुपये 5.00 लाख से बढ़ाकर रुपये 10.00 लाख प्रतिस्थापित की गयी हैं। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी. बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहदपीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2014-15 के दौरान दिसम्बर, 2014 तक प्रकरणों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :-

1.1.2014 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	कुल प्रकरण
2829	4878	7707

वर्ष 2014

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
					*BF 2829	4878	7707
जनवरी	70	118	71	112	2828	4884	7712
फरवरी	63	116	53	145	2838	4855	7693
मार्च	143	123	65	103	2916	4875	7791
अप्रैल	95	115	73	67	2938	4923	7861
मई	94	122	98	70	2934	4975	7909
जून	131	105	63	112	3002	4968	7970
जुलाई	134	117	35	61	3101	5024	8125
अगस्त	95	93	22	60	3174	5057	8231
सितम्बर	141	101	35	44	3280	5114	8394
अक्टूबर	97	69	76	34	3301	5149	8450
नवम्बर	70	102	61	42	3310	5209	8519
दिसम्बर	110	96	79	59	3341	5246	8587

* पिछला अग्रेसित

9.0 अजमेर मुख्यालय पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में तीन एस.बी. द्वारा सुनवायी की जा रही है तथा माह के द्वितीय व चतुर्थ सप्ताह में खण्डपीठ द्वारा सुनवायी की जा रही है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। जिसमें तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा लम्बित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में तथा तृतीय सप्ताह एवं पंचम् सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों के अतिरिक्त शेष कार्य दिवसों में एकलपीठ द्वारा कैम्प जयपुर में लम्बित निगरानी एवं अपील प्रकरणों की सुनवायी की जा रही हैं। कैम्प जयपुर में गठित खण्डपीठ व एकलपीठ में मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुनूं, दौसा, एवं चूरु जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

बजट वर्ष 2014-15 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा के पैरा 407 की घोषणा के अनुसार "डीलर्स की सुविधा के लिये राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों को दिनांक 01.09.2014 से वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा", की अनुपालना में कर बोर्ड द्वारा पारित समस्त निर्णयों का प्रदर्शन विभागीय वेबसाईट www.taxboard.rajasthan.gov.in पर माह जनवरी, 2014 से निरन्तर किया जा रहा है।

10- राजस्थान कर बोर्ड में पदस्थापित अधिकारियों के कार्यालय/निवास के फोन नम्बर निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नाम	पद	मोबाईल	कार्यालय	निवास
1	श्री राकेश श्रीवास्तव	अध्यक्ष	9810505633	0145-2627903 (अजमेर) 0141-2228790 (जयपुर)	0141-4025500
2	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	9414026983	0145-2627675	—
3	श्री मदनलाल	सदस्य	9413385864	0145-2627296	—
4	श्री मनोहरपुरी	सदस्य	9414291175	0145-2622981	—
5	श्रीमती आशा कुमारी	सदस्य	7073293847	0145-2627703	0145-2630681
7	श्री नहनू राम	सहा. रजिस्ट्रार	9828284422	0145-2627803	—

11. सूचना के अधिकार के अंतर्गत :-

: लोक सूचना अधिकारी :
श्री नहनू राम, सहायक रजिस्ट्रार
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627803 (Phone & Fax)
9828284422 (Mo.)

: विभागीय अपीलेंट ऑथोरिटी :
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627903 (Phone)
9810505633 (Mo.)

12.

: मुख्य सतर्कता अधिकारी :
श्री नहनू राम, सहायक रजिस्ट्रार
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) 9828284422 (Mo.)
